न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 –12/2017

अनवान : –

1. गीता देवी बेवा लिक्ष्मण जाति जाट निवासी शेरपुरा त0 भादरा –मृतक।
2. हरिसिंह पुत्र लिक्ष्मण जाति जाट निवासी शेरपुरा त0 भादरा।
3. हरलाल पुत्र लिक्ष्मण जाति जाट निवासी शेरपुरा त0 भादरा।
4. भूपसिंह पुत्र लिक्ष्मण जाति जाट निवासी शेरपुरा त0 भादरा।
5. रणवीर सिंह पुत्र लिक्ष्मण जाति जाट निवासी शेरपुरा त0 भादरा। वादीगण

बनाम

1. बलवीर पुत्र उदमी जाति जाट निवासी शेरपुरा तहसील भादरा।
2. चन्दूराम पुत्र उदमी जाति जाट निवासी शेरपुरा त0 भादरा।
3. परमेश्वरी पुत्री उदमी पत्नी भोपतराम जाति जाट निवासी चाडेवाला त0 व जिला सिरसा।
4. पावर्ती पुत्री उदमी पत्नि हरिसिंह जाति जाट निवासी चाडेवाला त0 व जिला सिरसा।
5. सांवलराम पुत्र घीराराम जाति जाट निवासी शेरपुरा त0 भादरा – मृतक!
   5.1 तनसुख 5.2 भूराराम 5.3 चन्दूराम 5.4 हरदयाल 5.5 बनवारी 5.6 भजनाराम 5.7 राजकौरी पुत्रान सांवलराम जाति जाट निवासी शेरपुरा त0 भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
7. एसबीआई बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक छानीबडी भादरा। प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत घोषणात्मक</u>

<u>अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थिति :– श्री रामस्वरूप देहडू वादी
श्री राममूर्ति ताखर प्रतिवादीगण

<u>निर्णय</u> दिनांकः 21/6/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 16 अमरसिंह के पत्थर न0 479/456 के किला न0 6 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 की 12 बीघा, पत्थर न0 479/457 के किला न0 1 ता 3 की कुल 3 बीघा, पत्थर न0 480/456 के किला न0 11 ता 13, 18 ता 23, की कुल 9 बीघा, पत्थर न0 480/457 के किला न0 1 ता 3, 4 की कुल 4 बीघा इस प्रकार कुल 28 बीघा बारानी कृषि भूमि वादीगण के कब्जा कास्त में चली आ रही है उक्त विवादित भूमि का आंवटन वादीगण के पिता लिक्ष्मण पुत्र ईसर जाति जाट निवासी शेरपुरा के नाम दिनांक 31.08.1957 को किया गया एवं इसकी सनद जिलाधिश श्रीगंगानगर द्वारा लिक्ष्मण के नाम 12.07.1978 को जारी कर दी गई।

उक्त विवादित भूमि में से पत्थर न0 479/456 के मु0न0 58 के किला न0 6 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 की 12 बीघा, पत्थर न0 479/457 के मु0न0 73 के किला न0 3 ता 5 की कुल 3 बीघा पत्थर न0 480/456 के मु0न0 57 के किला न0 11, 20, 21 की कुल 3 बीघा एवं पत्थर न0

उपखण्डाधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

480/457 के मु0न0 74 के किला न 01 की 1 बीघा इस प्रकार कुल 19 किला राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक काबिल का"त दर्ज है जबकि पत्थर न0 450/456 के मु0न0 57 के किला न0 12, 13 की कुल 2 बीघा मामचन्द वल्द जिसुख के नाम खातेदारी दर्ज है व इसी पत्थर मु0 नम्बर के किला न0 18, 19, 22, 23 की कुल 4 किला व पत्थर न0 480/457 के मु0न0 74 के किला न0 2, 3, 8 की 3 बीघा बलवीर, चन्दुराम परमेश्वरी, पार्वती के नाम खातेदारी दर्ज होने के कारण उपरोक्त वर्णित भूमि की खातेदारी वादीगण के पिता लिक्ष्मण के नाम दर्ज नहीं हो पाई।

इस प्रकार चक 16 अमरसिंह की उपरोक्त वर्णित वाद भूमि की सनद वादीगण के पिता लिक्ष्मण के जारी हुई थी, लिक्ष्मण के देहान्त के बाद कानूनी रूप से लिक्ष्मण के वारिसान वादीगण वाद भूमि पर काबिज है। वाद भूमि प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में कभी नहीं रही है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में आज दिनांक तक आंवटित भूमि सिवाय चक काबिल काश्त व खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने कारण वादीगण को खातेदारी नहीं मिली है जिससे वादीगण के हक प्रभावित हो रहे है। इस प्रकार वादीगण अपने पिता के नाम आंवटित भूमि जिसकी सनद जारी की गई थी में खातेदारी हको की घोषणा करवा पाने के कानूनी अधिकारी है। यही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 6 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया व शेष प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व पूर्व में एक तरफा कार्यवाही में लाई गई है।

साक्ष्य वादी में भूपसिंह पुत्र लिक्ष्मण के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में प्रस्तुत दस्तावेजात नजरी नक्शा 16 अमरसिंह प्रदर्श 1 सनद प्रारूप वाद भूमि की प्रति प्रदर्श 2ए असल सनद प्रदर्श 2 नकल जमाबंदी 16 एएमएस संवत 2054 खाता न0 1/1 प्रदर्श 3 एवं खाता सं0 93/84 प्रदर्श 4, खाता नम्बर 69/66 प्रदर्श 5 फॉटो प्रति बैयनामा मामचन्द प्रदर्श 6ए व असल प्रदर्श 6 वाद भूमि से संबंधित रेवन्यू भादरा का किस्त नोटिस दिनांक 28.10.1976 प्रदर्श 7ए व असल प्रदर्श 7 व नजरी नक्शा की असल कॉपी प्रदर्श 8 करवायें। पीडब्ल्यू 2 में पालाराम पुत्र चेतराम पीडब्ल्यू 3 में रतनलाल पुत्र हरिसिंह व पीडब्ल्यू 4 में रणवीर पुत्र लिक्ष्मण द्वारा आंवटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 9 व नकल सैल रजिस्टर प्रदर्श 10 करवाये।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को कथन किया कि वाद भूमि चक 16 एएमएस के पत्थर न0 479/456 के किला न0 6 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 की 12 बीघा, पत्थर न0 479/457 के किला न0 1 ता 3 की कुल 3 बीघा, पत्थर न0 480/456 के किला न0 11 ता 13, 18 ता 23, की कुल 9 बीघा, पत्थर न0 480/457 के किला न0 1 ता 3, 4 की कुल 4 बीघा इस प्रकार कुल 28 बीघा बारानी कृषि भूमि वादीगण के कब्जा कास्त में चली आ रही है उक्त विवादित भूमि का आंवटन वादीगण के पिता लिक्ष्मण पुत्र ईसर जाति जाट निवासी शेरपुरा के नाम दिनांक 31.08.1957 को किया गया एवं इसकी सनद जिलाधिश श्रीगंगानगर द्वारा लिक्ष्मण के नाम 12.07.1978 को जारी कर दी गई। लेकिन उपरोक्त वर्णित वाद भूमि सिवाय चक काबिल काश्त तथा शेष भूमि प्रतिवादीगण के खातेदारी दर्ज होने के कारण वादीगण को आज तक खातेदारी हकों से वंचित रखा गया है। वादीगण के पिता के नाम आंवटित भूमि की सनद व सैल रजिस्टर में खाता पहले से कायम है लेकिन राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार का अंकन वादीगण के पिता व वादीगण के बारे में नहीं किया गया है। अतः पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर वाद वादी डीकी योग्य है।

उपखण्डाधिकारी (न्यायालय)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादीगण में वादी ने चक 16 अमरसिंह के पत्थर न0 479/456 के किला न0 6 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 की 12 बीघा, पत्थर न0 479/457 के किला न0 1 ता 3 की कुल 3 बीघा, पत्थर न0 480/456 के किला न0 11 ता 13, 18 ता 23, की कुल 9 बीघा, पत्थर न0 480/457 के किला न0 1 ता 3, 4 की कुल 4 बीघा इस प्रकार कुल 28 बीघा बारानी कृषि भूमि वादीगण के कब्जा कास्त में चली आ रही है उक्त विवादित भूमि का आंवटन वादीगण के पिता लिक्ष्मण पुत्र ईसर जाति जाट निवासी शेरपुरा के नाम दिनांक 31.08.1957 को किया गया एवं इसकी सनद जिलाधिश श्रीगंगानगर द्वारा लिक्ष्मण के नाम 12.07.1978 को जारी कर दी गई। उक्त वाद भूमि के खातेदारी हको के लिए वाद पेश किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया, पूर्व में भी पत्रावली उपखण्ड अधिकारी भादरा द्वारा दिनांक 12.03.2009 को वाद वादी साबित नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया जिसके चलते राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पुनः निर्णय पारित करने हेतु पत्रावली को दिनांक 20.01.2014 को रिमाण्ड कर भेजा गया। पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी में से मु0न0 57, 58, 73 व 74 की कुल 19 बीघा भूमि सिवाय चक दर्ज है व शेष 9 बीघा भूमि प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। वादी द्वारा वाद के समर्थन में पेश सनद प्रति प्रदर्श 2ए जिसमें वाद भूमि की पहचान एवं मिलान के रूप में केवल मात्र पत्थर न0 ही दर्ज है जिसमें मु0न0 का कोई उल्लेख नहीं है। तथा वादी द्वारा प्रस्तुत आंवटन प्रदर्श 9 व सैल रजिस्टर नकल प्रदर्श 10 करवाये जिसमें युक्तियुक्त निर्णय के लिए यह साबित नहीं है कि विवादित आराजी का आंवटित रकबा पत्थर न0, मु0न0 से किला नम्बर का मिलान होता हो। वादीगण ने उक्त आराजी पर कब्जा काश्त के समर्थन में एक भी दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किया है जिससे ये साबित होता हो कि आराजी भूमि पर वादीगण काबिज है। उक्त वाद भूमि के आंवटन होने से पूर्व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज भूमि का राजस्व अभिलेख में रिकार्ड क्या था अथवा आंवटीत भूमि प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज कैसी हुई इस संबंध में वादीगण द्वारा किसी भी प्रकार का दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। उक्त सिवाय चक अथवा आराजीराज भूमि पर शांतिपूर्ण व निरन्तर किसका कब्जा है तथा सिवाय चक भूमि का रिकार्ड संबंधी विवरण हेतु पी–14, ओ–14 आदि दस्तावेजो को भी पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार दस्तावेजों के अभाव में वाद वादीगण अपना वाद साबित करने में असफल हुए है ।

अत : उपरोक्त विवेचानुसार एवं आवश्यक दस्तावेजो व साक्ष्य के प्रकटीकरण के अभाव में वाद वादी साबित नहीं होने के कारण वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट डीकी योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.6.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 12 / 2017

अनवान : —

1. गीता देवी बेवा लिक्ष्मण जाति जाट निवासी शेरपुरा त0 भादरा —मृतक।
2. हरिसिंह पुत्र लिक्ष्मण जाति जाट निवासी शेरपुरा त0 भादरा।
3. हरलाल पुत्र लिक्ष्मण जाति जाट निवासी शेरपुरा त0 भादरा।
4. भूपसिंह पुत्र लिक्ष्मण जाति जाट निवासी शेरपुरा त0 भादरा।
5. रणवीर सिंह पुत्र लिक्ष्मण जाति जाट निवासी शेरपुरा त0 भादरा। वादीगण

बनाम

1. बलवीर पुत्र उदमी जाति जाट निवासी शेरपुरा तहसील भादरा।
2. चन्दूराम पुत्र उदमी जाति जाट निवासी शेरपुरा त0 भादरा।
3. परमेश्वरी पुत्री उदमी पत्नी भोपतराम जाति जाट निवासी चाडेवाला त0 व जिला सिरसा।
4. पावर्ती पुत्री उदमी पत्नि हरिसिंह जाति जाट निवासी चाडेवाला त0 व जिला सिरसा।
5. सांवलराम पुत्र घीराराम जाति जाट निवासी शेरपुरा त0 भादरा — मृतक।
   5.1 तनसुख 5.2 भूराराम 5.3 चन्दूराम 5.4 हरदयाल 5.5 बनवारी 5.6 भजनाराम 5.7 राजकौरी पुत्रान सांवलराम जाति जाट निवासी शेरपुरा त0 भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
7. एसबीआई बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक छानीबडी भादरा। प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री रामस्वरूप देहडू की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साबित नहीं होने के कारण वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88—188 आरटीएक्ट डीक्री योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21-6-22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व, R.A.S
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़